	For Armed Forces Personnel:— **B. Deputation or Re-employment:—** The Armed Forces Personnel who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing qualifications and experience mentioned for direct recruits in column (7) shall also be considered and if selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Deputy Secretary (Administration), Union Public Service Commission —Chairman 2. Under Secretary (General), Union Public Service Commission —Member 3. Under Secretary (Recruitment), Union Public Service Commission —Member	Not applicable.

[F. No. 39021/11/2012 -Estt.(B)

PRAMOD KUMAR JAISWAL, Under Secy.

वाणिज और उद्योग म ा

(औद्योगिक नीति और सवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, 16 बर, 2018

सा.का.नि.352.— ाष्ट्रपति, संविधान के नुच्छेद 309 के प न्ुक द्वा ा प्रदत्त क्तियों का प्रयोग क े हुए, और औद्योगिक नीि औ संवर्धन विभाग, स्टाफ का ड्राइव (सामान्य श्रेणी, श्रेणी-2 औ श्रेणी-1) भ ी नियम, 1998 को, उन बा ों के सिवाय धिक्रा क े हुए, जिन्हें ऐसे धिक्रमण से पूर्व किया गया है, या क ने का लोप किया गया है, वाणिज्य औ उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीि औ संवर्धन विभाग में स्टाफ का ड्राइव (वि ेष श्रेणी), स्टाफ का ड्राइव (श्रेणी 1), स्टाफ का ड्राइव (श्रेणी 2) औ स्टाफ का ड्राइव (सामान्य श्रेणी) के पदों प भ ी की पद्धि का विनियमन क ने के लिए निम्नलिखि नियम बना े हैं, र्थात:—

1. सक्षिप्त नाम और प्रारभ.—(1) इन नियमों का संक्षि नाम वाणिज्य औ उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीि औ संवर्धन विभाग, स्टाफ का ड्राइव (वि ेष श्रेणी), स्टाफ का ड्राइव (श्रेणी 1), स्टाफ का ड्राइव (श्रेणी 2) औ स्टाफ का ड्राइव (सामान्य श्रेणी) भ ी नियम, 2018 है।

(2) ये ाजपत्र में उनके प्रका न की ाीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आरम्भिक गठन.—(1) इन नियमों के प्रव न होने से ठीक पर्व नियमि आधा प स्टाफ का ड्राइव (वि ेष श्रेणी) पद धा ण क ने वाले कार्मिक, इन नियमों के उपबंधों के नुसा नियुक्त किए समझे जाएंगे।

(2) इन नियमों के प्रव ंन से पर्व की उप ो निर्दिष्ट कार्मिक के पद प की गई नियमि नि ं सेवा की वधि को प ीवीक्षा, ज्येष्ठता, प्रोन्न ि के लिए हर्क ा, पुष्टिक न औ पेंशन के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

3. पदों की स ा, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीक ण, वे न मैट्रि स में स्‍ वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध नुसूची के स्‍ ंभ (2) से स्‍ ंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताए आदि.—उ भ ी की पद्धि, आयु सीमा, ई ाएं औ उससे संबंधि न्य बा ें वें होगी जो उ नुसूची के स्‍ ंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पि या जिसकी पत्नी जीवि हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवि ह े हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उ पद प नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

प न्‍ ु यदि केन्द्रीय स का का यह समाधान हो जा ा है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति औ विवाह के न्य पक्षका को लाग स्वीय विधि के धीन नुज्ञेय है औ ऐसा क ने के लिए न्य आधा हैं ो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रव ंन से छूट दे सकेगी।

6. शिथि करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय स का की यह ाय है कि ऐसा क ना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो का ण हैं, उन्हें लेखबद्ध क के, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाब , आदेश द्वा ा ि थिल क सकेगी।

7. व्‍ ावृत्ति.—इन नियमों की कोई बा , ऐसे आ क्षण, आयु-सीमा में छूट औ न्य ि याय ों प प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय स का द्वा ा इस संबंध में समय-समय प जा ी किए गए आदे ों के नुसा नुसूचि जा ियों, अनुसूचित जनजा ियों, न्य पिछड़े वर्गों, भ पूर्व सैनिकों औ न्य वि े ष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध क ना पेक्षि है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीक ण	वेतन मैट्रि स में स्‍ र या वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1. स्टाफ का ड्राइव (वि े ष श्रेणी)	1* (2018) *कार्यभा के आधा प पि व ंन किया जा सक ा है	साधा ण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', ाजपत्रि , अनुसचिवीय	वेतन मैट्रि स में स्‍ र 6 (35400-112400/- रु.)

चयन या अचयन पद	सीधे भ ी किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भ ी किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए पेक्षि ैक्षिक औ न्य अह एं	सीधे भ ी किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहि आयु औ ैक्षिक ह एं प्रोन्नत व्यक्तियों की द ा में लाग होंगी
(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन	लाग नहीं हो ा	लाग नहीं हो ा	लाग नहीं हो ा

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति**: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:** ऐसा स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-1) जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 में 29200-92300/- रु. में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होनें अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
1. समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) निदेशक/उप सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग - अध्यक्ष (2) अवर सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग - सदस्य (3) अवर सचिव (प्रशासन), भारी उद्योग विभाग - सदस्य **2. समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होगें :—** (1) निदेशक/उप सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग - अध्यक्ष (2) अवर सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग - सदस्य (3) अवर सचिव (प्रशासन), भारी उद्योग विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. स्टाफ का ड्राइव (श्रेणी-I)	3* (2018) *कार्यभा के आधा प प वि र्न किया जा सक ा है	साधा ण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', ाजपत्रि , अनुसचिवीय	वेतन मैट्रि स में स्र र 5 (29200-92300/- रु.)

(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन	लाग नहीं हो ा	लाग नहीं हो ा	लाग नहीं हो ा

(9)	(10)	(11)
लाग नहीं हो ा	प्रोन्नि द्वा ा	**प्रोन्नति:** ऐसा स्टाफ का ड्राइव श्रेणी-2 जिसने वेतन मैट्रि स के स्र 4 में (25500-81100/- रु.) में उस श्रेणी में छ: वर्ष सेवा की हो या स्टाफ का ड्राइव श्रेणी-2, और स्टाफ का ड्राइव (सामान्य श्रेणी) में संयु सेवा पन्द्रह वर्ष की हो, था स का द्वा ा निविर्दिष्ट व्यवसाय प ीक्षण पास किया हो। **टिप्पण**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होनें पनी र्हक या पात्र ा सेवा प ी क ली है, प्रोन्नि के लिए विचा किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचा किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वा ा की गई ऐसी र्हक या पात्र ा सेवा, पेक्षि र्हक या पात्र ा सेवा के आधे से धिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो औ उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहि , जिन्होंने ऐसी र्हक या पात्र ा सेवा पहले ही पूरी कर ली है, गली उच्च श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी प िवीक्षा की वधि सफल ापर्वक प ी क ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागी प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के ि ए) जिसमें निम्नि खित होंगे :— (1) निदेशक/उप सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीि औ संवर्धन विभाग - ध्यक्ष (2) व सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीि औ संवर्धन विभाग -सदस्य (3) व सचिव (प्र ासन), भारी उद्योग विभाग -सदस्य	लाग नहीं हो ा।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. स्टाफ का ड्राइव (श्रेणी-II)	3* (2018)	साधा ण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', ाजपत्रि ,	वेतन मैट्रि स में स्र र 4 (25500-81100/- रु.)

	*कार्यभा के आधा प पि व र्न किया जा सक ा है	अनुसचिवीय	

(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन	लाग नहीं हो ा	लाग नहीं हो ा	लाग नहीं हो ा

(9)	(10)	(11)
लाग नहीं हो ा	प्रोन्न ि द्वा ा	**प्रोन्नति:** ऐसा स्टाफ का ड्राइव (सामान्य श्रेणी) जिसने वेतन मैट्रि स के स र-2 में 19900-63200/- रु. में नियमि आधार पर उस श्रेणी में न वर्ष सेवा की हो औ स का द्वा ा निविर्दिष्ट व्यवसाय प िक्षण पास किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होनें पनी र्हक या पात्र ा सेवा प ी क ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा हा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचा किया जाएगा प ु यह ब जब कि उसके द्वा ा की गई ऐसी र्हक या पात्र ा सेवा, पेक्षि र्हक या पात्र ा सेवा के आधे से धिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो औ उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहि , जिन्होंने ऐसी र्हक या पात्र ा सेवा पहले ही प ी क ली है, गली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्न ि के लिए पनी प िवीक्षा की वधि सफल ापूर्वक प ी क ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागी प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के ि ए) जिसमें निम्न ि खित होंगे :— (1) निदेशक/उप सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीि औ संवर्धन विभाग - ध्यक्ष (2) व सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीि औ संवर्धन विभाग - सदस्य (3) व सचिव (प्र ासन), भा ी उद्योग विभाग - सदस्य	लाग नहीं हो ा।

(1)	(2)	(3)	(4)
4. स्टाफ का ड्राइव (सामान्य श्रेणी)	3* (2018) *कार्यभा के आधा प पि व र्न किया जा सक ा है	साधा ण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', ाजपत्रि , अनुसचिवीय	वेतन मैट्रि स में स र 2 (19900-63200/- रु.)

(5)	(6)	(7)
लाग नहीं हो ा	18 वर्ष औ 25 वर्ष के बीच	(i) मोट का ों के लिए कोई विधिमान्य

	(केन्दीय स का द्वा ा समय-समय पर जारी किए गए नुदेशों या आदेशो के नुसा स का ी सेवकों के लिए 40 वर्ष क ि थिल की जा सकती है ।) **टिप्पण:** आयु-सीमा वधास्ि क ने के लिए निर्णायक ा ीख भा में भ्यर्थियों से आवेदन प्राप् क ने कि लिए निय की गई ंि म ा ीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, रुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्म-कश्मीर ाज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल औ स्पीि जिले था चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, ंदमान औ निकोबा द्वीप या लक्षद्वीप के भ्यर्थियों के लिए विहि की गई है ।)	चालन नुज्ञप्ति का होना । (ii) मोट यंत्र क्रिया का ज्ञान (भ्यर्थी छोटी मोटी ख ाबियों को द क ने के योग्य होना चाहिए ।) (iii) किसी मोट का के चालन का कम से कम ीन वर्ष का नुभव । (iv) किसी मान्य ाप्राप् बोर्ड से 10वीं कक्षा उत् ीण । **वांछनीय :** गृह क्षी या सिविल क्षा स्वंय सेवक के रूप में ीन वर्ष का नुभव । **टिप्पणी:** नुभव संबधी ह ा (ह ाएं) सक्षम प्राधिका ी के विवेकानुसा नुसूचि जाि यों औ नुसूचि जनजाि यों के भ्यर्थियों की द ा में ब ि थिल की जा सक ी हैं जब चयन के किसी प्रक्रम प संघ लोक सेवा आयोग की यह ाय है कि उनके लिए आरक्षि ि क्तियों को भ ने के लिए पेक्षि नुभव खने वाले उन समुदायों के भ्यर्थियों के पर्याप् संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

(8)	(9)	(10)
लाग नहीं हो ा	दो वर्ष	प्रि नियुक्ति/आमेलन द्वा ा जिसके न हो सकने प सीधी भ ी द्वा ा स स्त्र बल कार्मिकों के लिए :- आमेलन/ पुनर्नियोजन

(11)
प्रतिनि ुक्ति/ आमेलन :— औद्योगिक नीि ओ संवर्धन विभाग औ इसके संलग्न कार्यालयों में वेतन मैट्रि स के स् र-1, 18000-56900/ रु. में नियमित सवार हरकारा और समूह 'ग' कर्मचाि यों में से ऐसे कर्मचा ी जो मोट का ों को चलाने के लिए विधिमान्य चालन नुज्ञप्ति, मोट का ों को चलाने की उनकी क्षम ा का किसी चालन प ीक्षण के मूल्यांकन के आधार पर, ख े हों । जिसके ने हो सकने पर, केन्द्रीय स का के न्य मंत्रालयों या विभागों में, वेतन मैट्रि स के स् र 1, 18000-56900 रु. में नियमि आधार पर सवार हरकारा का पद धारण करने वाले या नियमित समूह 'ग' कर्मचाि यों में से ऐसे कर्मचा ी जो स् ंभ (7) में उल्लिखि आवश्यक ह ाएं प ी क े हों । **प्रतिनि ुक्ति / सशस्त्र ब कार्मिकों के ि ए पुनर्नि ोजन:—** स स्त्र बल के कनिष्ठ कमी न प्राप् धिका ी या सम ुल्य पद के ऐसे कार्मिकों के सबधं में भी विचा किया जाएगा जो एक वर्ष की वधि के भी सेवानिवृत होने वाले हैं या ि जर्व मे स्थानां ि किए जाने वाले हैं औ जिनके पास पेक्षि नुभव औ विहि ह ाएं हैं । यदि ऐसे व्यक्तियों का चयन हो जाता है, ो उन्हें उस तारीख क प्रि नियुक्ति के निर्बधनों प खा जाएगा जिस ा ीख से उन्हें स स्त्र बल से निर्मुक किया जाना है; त्पश्चा उन्हें पुनर्नियोजन प बने हने दिया जा सकता है ।

टिप्पण 1: प्रति नियुक्ति, जिसके न्तर्गत केन्दीय सरकार के उसी या किसी न्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी न्य काडर बाह्य् पद पर प्रति नियुक्ति भी है, की वधि है, साधारण या तीन वर्ष से धिक नहीं होगी । **टिप्पण 2:** प्रति नियुक्ति पर नियुक्ति के लिए धिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की ंतिम तारीख को 56 वर्ष से धिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
1. समूह 'ग' विभागी प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) निदेशक/उप सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग - ध्यक्ष (2) वर सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग - सदस्य (3) वर सचिव (प्रशासन), भारी उद्योग विभाग - सदस्य **2. समूह 'ग' विभागी पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगें :—** (1) निदेशक/उप सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग - ध्यक्ष (2) वर सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग - सदस्य (3) वर सचिव (प्रशासन), भारी उद्योग विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12018/1/2015-स्था. II]

सयैद रवीश अली, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

New Delhi, the 16th October, 2018

G.S.R. 352.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Industrial Policy and Promotion Staff Car Driver (Ordinary Grade, Grade- II and Grade- I), Recruitment Rules, 1998 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Special Grade), Staff Car Driver (Grade I), Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, namely:—

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, Staff Car Driver (Special Grade), Staff Car Driver (Grade I), Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade), Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Initial Constitution.—**(1) The personnel holding the post of Staff Car Driver (Special Grade) immediately before the commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of personnel referred above before the commencement of these rules shall count for the purpose of period of probation, seniority, qualifying service of promotion, confirmation and pension in the service.

3. **Number of posts, classification, level in the pay matrix or pay scale.—** The number of posts, their classification, level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—** No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.–Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix or pay scale	Whether selection post or non selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Staff Car Driver (Special Grade)	1* (2018) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 6 in the pay matrix ₹ 35400–112400	Non-selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
By promotion	**Promotion:** Staff Car Driver (Grade I) in level 5 in the pay matrix ₹29200 - 92300 with three years' regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
1. Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— (1) Director/Deputy Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Chairman (2) Under Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Member (3) Under Secretary (Administration), Department of Heavy Industry– Member. **2. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:—** (1) Director/ Deputy Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Chairman (2) Under Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Member (3) Under Secretary (Administration), Department of Heavy Industry – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Staff Car Driver (Grade I)	3* (2018) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 5 in the pay matrix ₹ 29200–92300	Non-selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By promotion	**Promotion:** Staff Car Driver (Grade II) in level 4 in the pay matrix ₹ 25500- 81100 with six years' regular service in the grade or with a combined service of fifteen years' in Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test, specified by the Government. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Director/ Deputy Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion –Chairman 2. Under Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Member 3. Under Secretary(Administration), Department of Heavy Industry – Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Staff Car Driver (Special Grade II)	3* (2018) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 4 in the pay matrix ₹ 25500–81100	Non-selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By promotion	**Promotion:** Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level 2 in the pay matrix ₹ 19900-63200 with nine years' regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— (1) Director/ Deputy Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Chairman (2) Under Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Member (3) Under Secretary (Administration), Department of Heavy Industry – Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	3* (2018) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 2 in the pay matrix ₹ 19900–63200	Not applicable

(6)	(7)	(8)
Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential:** (i) possession of a valid driving license for driving motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) experience of driving a motor car for three years; and (iv) pass in 10th standard from a recognised Board. **Desirable:** Three years' service as Home Guard or Civil Volunteer. **Note:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable

(9)	(10)
Two years	By deputation/ absorption, failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/ re-employment.

(11)
Deputation/absorption: From amongst regular Despatch Riders and Group 'C' employees in level 1 in the pay matrix ₹18000-56900 in the Department of Industrial Policy and Promotion and its attached offices who possess valid driving license for driving motor cars on the basis of a driving test to assess their competence to drive motor cars failing which from the officials holding the post of Despatch Riders on regular basis or regular Group 'C' employees in level 1 in the pay matrix ₹18000-56900 in other Ministries or Departments of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column (7). **Deputation/ re-employment for Armed Forces Personnel:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1**: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2**: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
1. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— (1) Director/ Deputy Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Chairman (2) Under Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Member (3) Under Secretary (Administration), Department of Heavy Industry– - Member **2. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:—** (1) Director/ Deputy Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Chairman (2) Under Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Member (3) Under Secretary (Administration), Department of Heavy Industry – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/1/2015-E.II]

SYED RAVISH ALI, Under Secy.

जल संसाधन, नदी विकास और गगा सरक्षण म ा

नई दिल्ली, 12 बर, 2018

सा.का.नि. 353.— ाष्ट्रप ि, संविधान के नुच्छेद 309 के प ं ुक द्वा ा प्रदत्त क्तियों का प्रयोग क े हुए, केन्द्रीय भूमिग जल बोर्ड (कनिष्ठ इंजीनिय), भ र्ती नियम, 1977 को उन बा ों के सिवाय धिक्रांत क े हुए जिन्हें ऐसे धिक्रमण से पूर्व किया गया है या क ने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास औ गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिग जल बोर्ड में कनिष्ठ इंजीनिय पदों प भ र्ती की पद्धि का विनियमन क ने के लिए निम्नलिखि नियम बना े हैं, र्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास औ गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिग जल बोर्ड, कनिष्ठ इंजीनियर, भ र्ती नियम, 2018 है।

(2) ये ाजपत्र में उनके प्रका न की ा ीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद स ा, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उसका वर्गीक ण औ वेतन मैट्रि स में स्त वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध नुसूची के स म्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताए आदि.—**भ र्ती की पद्धि, आयु-सीमा, र्ह ाएं औ उससे संबन्धि न्य बा ें वे होंगी जो उक्त नूसूची के स ंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति .—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका प ि या जिसकी पत्नी जीवि है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने पने प ि या पनी पत्नी के जीवि ह े हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद प नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

प ं ु यदि केन्द्रीय स का का यह समाधान हो जा ा है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति औ विवाह के न्य पक्षका को लाग स्वीय विधि के धीन नुज्ञेय है औ ऐसा क ने के लिए न्य आधा हैं ो वह किसी व्यक्ति को उस नियम के प्रव र्न से छूट दे सकेगी।